MR. SPEAKER: Shrimati Kishori Sinha.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Are you giving your ruling tomorrow?

MR. SPEAKER: Yes, tomorrow.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं तो कल यहां नहीं रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा सा बाकी था। कल कर दूंगा ।
Tomorrow definitely.

आप यहां हैं नहीं कल ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं कल फिरोजपूर चला जाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा-अच्छा । फिर परसों कर देंगे । तैयार है । थोड़ा सा बाकी था ।

I have given the final touches.

कल काम रात 11 बजे तक चला ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सीधे-सीधे उनसे माफी मंगवाइए। उसमें ज्यादा बीमारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माफी मंगवा दूंगा।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Don't allow them to take shelter behind technicalities.

MR. SPEAKER: No technicalities. I do not go by technicalities. I shall satisfy myself.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): He should also stick to his ground.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): In the List of Business, there are two items both listed at 4 P.M. One is the statement by the Home Minister on Assam at 4 P.M. and the other is discussion re. Non- aligned Conference also at 4 P.M. What is it?

अध्यक्ष महोदय : पहले स्टेटमेंट करवा देंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उसमें टाइम चला जाएगा ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): I think the Secretariat is over-worked. They should be given some respite.

MR. SPEAKER: You should give some respite as you take yourself respite by not coming on all these days.

DR. SUBRAMANIAM SYAMY: After lunch, I always sleep.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): You are a wise man!

12.13 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

HEAVY STRAIN ON PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM ON ACCOUNTS OF SCARCITY OF ESSENTIAL COMMODITIES AND NON-AVAILABILITY OF KEROSENE

SHRIMATI KISHORI SINHA (Vaishali): Sir, I call the attention of the Hon. Minister of Food and Civil Supplies to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

"the reported heavy strain on the Public Distribution System on account of scarcity of essential commodities and non-availability of kerosene."

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL-SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): As the House is already aware, the Public Distribution System is operating in various parts of the country. Its basic objective is to supplement the free market mechanism in meeting the requirements of the consumers for essential commodities. The commodities which have been recommended by the Central Government to the States for issue through the Public Distribution System are wheat, rice, sugar, imported edible oils and kerosene, apart from soft coke and controlled cloth. The State Governments have been given the option to add such other items of general consumption as they deem fit, by arranging for supplies of such items on their own.

2. Of the seven commodities which have been recommended to the States for issue through the Public Distribution system, the allocations and supplies are made to the State Govt. by the Central Government through certain designated public-sector agencies. The Public Distribution System, in its present concept, cannot realistically be expected to meet the entire consumption requirements of the States. The allotment of these seven commodities is made by the Central Government keeping in view the overall availability of stocks in the Central Pool, the relative needs of the various States, market availbility and other related factors. It is, however, not correct to state that there is an overall scarcity of essential commodities in the country. Central Government undertakes advance planning and action in the matter of supply-management of these essential commodities. In a system of this magnitude, certain temporary and localised shortages cannot, at times, be ruled out. However, in such cases, appropriate remedial action is taken by the concerned State Governments in consultation with the Central Government. I would like to emphasise that the administration and supervision of the Public Distribution System within their territories, is primarily the responsibility of the concerned State Governments. They have to see that the supplies allocated, reach the fair-price shops for distribution to the consumers, and also generally to review the functioning of the Public Distribution System from time to time.

3. As per the reports reaching the Central Government, the position both regarding the availability and price trends of these essential commodities, has been under control. Adequate quantities of these commodities, including kerosene, are being allocated and released for issue through the Public Distribution System in recent months. With the withdrawal of the Dual Pricing Policy on kerosene, there should be no difficulty to the consumers in getting their entitlement of kerosene.

4. In the end, I would like to assure the House that the Government is keeping a constant and careful watch over the position in regard to the availability and prices of essential commodities, and would continue to take appropriate measures from time to time to see that this position remains satisfactory.

SHRIMATI KISHORI SINHA: The hon. Minister has stated that the Central Government is not expected to meet the entire consumption requirements of the States and that the allotment is made keeping in view its own stocks, the relative needs of various States as well as the market availability. The hon. Minister being from Bihar knows the extent and intensity of drought in Bihar. Bihar, unfortunately, almost regularly, except in 1972, suffers from drought and floods with the result that the availability of grains like wheat and rice is very limited and the State Government or even the private trade is not able to supplement the requirements. That is why the Supply Minister of Bihar has informed the Members of Parliament from Bihar about the requirements and allotments. It appears that, as against demand of one lakh tonnes of wheat, 50,000 tonnes of rice and 40,000 tonnes of sugar per month, the allotment has been only 50,000 tonnes of wheat, 15,000 tonnes of rice and 29,000 tonnes of sugar per month. Likewise, in regard to kerosene oil, as against the requirement of 30,000

tonnes, the allotment has been only 23,000 tonnes, The same must be the case with the other States also like Tamil Nadu, etc., which suffered from drought. May, I, therefore, know whether Government propose to increase the allotment to such States so as to match their requirements?

Secondly, I would like to say, the Delhi Administration has laid down that there would be no flour mills in the premises in which fair price shops have been opened. But in many cases the order has been violated and flour mills are working along with fair price shops in the same building. The result is that good quality of wheat intended for card-holders is used in the flour mills and inferior quality of wheat just like this sample which I have got in my hand is supplied to the card-holders. Has this come to the notice of the Government and do Government propose to take necessary penal action to stop such malpractices?

Thirdly, I would like to say, if you allow me, Mr. Deputy-Speaker, that it has been our experience in Delhi that many a time due to non-arrival of wheat and rice in ration shops, we have to return disappointed and have to buy in open market at higher prices. Will Government ensure timely supply of these commodities.

AN HON. MEMBER: Hand over the sample to the Minister or lay it on the Table.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If it is placed on the Table of the House, it will be scrutinised.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): This is the complaint all over Delhi. But Government is totally intensitive to it.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: It is true, as the hon. lady Member has said, there is widespread drought in many States in the country, for example, as she has said, in Bihar, in Tamil Nadu and also in other States. It is due to this fact that this year drought is widespread that we could not be as liberal as during those years when we had the drought localised in one part. I would like the hon. Member to appreciate two important things. One, the production in the country, whether of rice or of wheat is the amount from which we draw as our procurement for the Central Pool and the States also draw from the same. It should be emphasized that we are procuring only about 12-1/2 per cent of the total production in the country....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Why?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: .... because if you want the total take-over of the trade which many friends want, I would straightaway say that it may satisfy some hon. Members but it has also got the other side of the picture. Therefore, what we are procuring to-day is only 12-1/2 per cent and it has been seen from experience in the past years that we have been able to manage from the Central pool to supply foodgrains to the different States in difficulties and in times of need, whether in drought, floods or otherwise. . .

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You can offer a higher price and they will sell you more.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: A higher price is not the only panacea for procuring more wheat. It is a question of the total availability in the market. Even if I give more and take in the Central pool more, ultimately that 87-1/2 per cent that is left in the market today will be reduced. Either way—if I procure more the total availability in the market will be less. Hon. Members who know economics can understand this. Only when we find that the total availability both in the Central pool and in the market is so much less that sometimes Government try to manage the food management by importing from outside. Therefore, I would say that whereas I apprecaite and realise the difficulty of the State Governments like Bihar who has asked for 1 lakh tonnes, I am not able to give that much; and also Tamil

[Shri Bhagwat Jha Azad]

Nadu and Orissa; but within the availability in the Central pool, I am trying my best to give them as much as possible during the lean periods. I would do my best—again I am saying—for Bihar, for Tamil Nadu and for Orissa who are telling me all the time. Only one thing I must say to my friends and that is about rice.... (*Interruptions*) You are also rice-eaters. The time has come where you have to change your taste a little, both towards rice and wheat. There was a time when Biharis had rice in both the meals. Now they take wheat in one meal. From Tamil Nadu, West Bengal, Kerala and Orissa I have got the strongest pressure for rice and also they want rice from a particular State. It could not be possible. They have to take to what is grown in the country and cultivate a taste for wheat also. Therefore, I would try my best.

About rice, there is another difficulty. The rice crop this year has suffered in the drought very much and I hope I will be able to compensate that by the wheat crop that is to come in the market from 1st of April.

Therefore, I would say that we have to keep these points into consideration. It is not a question of the State demanding and the Centre supplying. It is a question of the States and the Centre trying to procure as much as they can and in times of difficulties allocate the available foodgrain; as judiciously as possible. This should be kept in mind. Members have said, 'The States have demanded so much, why don't you give so much?' My reply is that the food management of demand and supply is a joint responsibility of the State and the Centre in procuring and then distributing judiciously. This should be kept in mind. Then there will be no difficulty and the hon. Member will here appreciate the difficulty of the Central Government and also of the State Government.

The second point the hon. lady Member has raised is about the fair price shops in Delhi. I would say that we have not given permission to fair price shops is to be opened in the vicinity or in the premises of the flour mills. If there are some, they are in breach of the law and we would like to take action if we are informed about it as to who are doing it. I will not permit such things to happen. I appreciate the hon. Member's suggestion. If there is a flour mill in the same premises, there is the likelihood of complaints coming that good wheat goes there. Therefore, we would like to take action if such things are brought to our notice....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Have you got a machinery of your own?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Point No. 3 of the hon. Member is about timely supplies in the Delhi FPSs. Sir, in Delhi I must say there is much better facility as compared to other parts of the country. Here we straight give cereals from the FCI to the retail shops. Therefore, they should reach in time. If there is specific complaint I must draw the attention of the Delhi Administration to such things because any person who is a card holder must get timely supply. Therefore, I have to....

SHRI N. K. SHEJWALKAR: The sample is from Shahdara and not from Bihar.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What about kerosene?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I have replied to both that in case of wheat, rice or kerosene it is all a question of judicious distribution according to availability.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Shakya.

(*Interruptions*)

श्री राम सिंह शाक्य (इटावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश की जनगणना आबादी के अनुसार ईसरी है और राशनकार्ड के अनुसार

दूसरी है । इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि दिल्ली की 1981 की जनगणना के अनुसार 61 लाख जनसंख्या है और राशन कार्डों के अनुसार 71 लाख। तो यह दस लाख का फर्क क्यों था क्या इस बारे में माननीय मंत्री जी बतायेंगे। इसके लिए वे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब किसानों से गेहूं खरीदा जाता है तो बहुत देख-परख कर और साफ सुथरा गेहूं खरीदा जाता है और जब गेहूं राशन की दुकानों पर बिकने के लिए आता है तो सड़ा गला और कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ ऐसा गेहूं उपभोक्ता को दिया जाता है जो खाने लायक नहीं होता। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह साफ सुथरा गेहूं कहां चला जाता है ?

इसी प्रकार राशन कार्डों की दोहरी नीति चलाई जा रही है। शहरों में यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाता है और गाँवों में कार्ड के हिसाब से राशन दिया जाता है। चाहे उस कार्ड में दो व्यक्तियों का नाम हो या दस व्यक्तियों का नाम हो उसको राशन बराबर मिलता है। इस तरह की दोहरी नीति के क्या कारण हैं ?

इसी प्रकार मिट्टी के तेल की समस्या चल रही है। मिट्टी का तेल जहां से आता है "ओपेक" वहां पर कीमत कम हो रही है लेकिन यहां पर कीमत बढ़ी है। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है। इसी प्रकार जब दोहरी मूल्य नीति की घोषणा की गई थी तब तो उसी दिन से सारे हिन्दुस्तान में वह लागू हो गई थी लेकिन जब इस नीति को समाप्त किया गया तो अभी तक वहीं दोहरी नीति चल रही है। आज भी वह व्यवस्था बनी हुई है।

खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों के बारे में कह रहा हूं जहां पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है और बेचारे गरीब विद्यार्थी जिनके घर में और कोई व्यवस्था नहीं है केवल मिट्टी के तेल का प्रयोग करके ही परीक्षा दे सकते हैं, आज उनको मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे और बतायेंगे कि इस तरह की व्यवस्था कैसे होगी ? एक अच्छी व्यवस्था कैसे होगी जिससे सबको समान रूप से मिट्टी का तेल और सब चीजें मिल सकें ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न दिल्ली की जनसंख्या और कार्ड के संबंध में किया है। उनके कहने का अर्थ यह है कि जन-संख्या कम और कार्ड पर अधिक क्यों दिखाया गया है, अर्थात् दिल्ली में बोगस कार्ड है। हमने दिल्ली प्रशासन का ध्यान अभी कुछ दिन पूर्व ही जब उनके मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षद मुझ से मिले थे तो इस ओर आकर्षित किया था। उन्होंने मुझ से कहा कि हमें और कार्ड झुग्गी-झोंपड़ी एरियाज के लिये बनवाने हैं। मैंने कहा, अवश्य बनवाइये, मगर साथ-साथ आप यह भी कीजिए कि जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए और आप दिल्ली में यह भी पता लगाइए कि अगर बोगस कार्ड हों, जो कुछ लोगों ने अपने पास रखे हैं उन्हें कैंसल करके इन गरीब लोगों को दिए जाएं ताकि आप जो राशन देते हैं उसका सम्पूर्ण रूप से उचित उपयोग हो सके ? दिल्ली में आबादी फ्लोटिंग है इस कारण से कठिनाई रहती है।

दूसरा प्रश्न आपने यह किया कि प्रोक्युरमेंट स्टेज पर किसानों से अच्छे गेहूं लिए जाते हैं लेकिन दुकानों में कंकड़ पत्थर कैसे मिल जाते हैं। सब दुकानों में ऐसी बात नहीं है लेकिन जहां भी ऐसी

[श्री भागवत झा आजाद]

बातें होती हैं वहां हम जांच कर सकते हैं और करते भी है। प्रश्न में छिपाना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों से जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के विभिन्न भागों में गेहूं लिया जाता है, वहां सबसे पहली बात उसको खरीदने की है, दूसरी टान्सपोर्ट, तीसरी स्टोरेज और चौथी बात आती है जब हम राज्य सरकार को हैन्ड-ओवर करते हैं, फिर, राज्य सरकार अपने माध्यम से उनको विभिन्न स्थानों पर भेजती है। इस लम्बी प्रक्रिया में आप कल्पना कीजिए हर महीने लगभग सवा करोड़ बैग्स का मूव होता है। इसमें जो कठिनाई है वह मानवीय कमजोरी या लालच के कारण हो सकती है। लेकिन जिन स्थानों पर ऐसी गल्तियां होती है, उसके लिए मैंने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और आपके सहयोग से भी कोशिश करूंगा जहां कंकड़-पत्थर होते हैं, उनको सुधार सकूं। एफ० सी०आई० सबसे बड़ा है, जिसके नाम पर हर व्यख्ति नाराज हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जहां-कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं वह ठीक हो जाएं। लेकिन उस समय आपकी बहुत बड़ी सहायता चाहिए।

श्री राम सिंह शाक्य : कहां पर मिलाए जाते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं यही बता रहा हूं किसान से लिया, ट्रान्सपोर्ट हुआ, फिर स्टोरेज हुआ और फिर वहां से स्टेट गवर्मेन्ट को दिया गया है। ये पांच-दस प्रक्रियाएं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली की बात हो रही है।

श्री भागवत झा आजाद : वाजपेयी जी, दिल्ली में तो गेहूं उगता नहीं है। यहां पंजाब और हरियाणा से आता है। वहां भी खरीदने के बाद ट्रान्सपोर्ट होता है और फिर स्टोरेज में दिया जाता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर ऐसी बातें होती है उनकी रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयत्न करते हैं। दिल्ली प्रशासन और राज्य सरकारें भी कोशिश करती हैं, कि इस प्रकार की दुर्व्यवस्था दूर हो।

तीसरा प्रश्न आपने गांव और शहर के बारे में कहां है। गांव और शहरों में हम कोई भेद नहीं करना चाहते हैं। क्वान्टीटी में फर्क हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार ही ट्रान्सपोर्ट करती है। लेकिन केन्द्र सरकार की नजर में गांव और शहर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे।

चौथी बात आपने मिट्टी के तेल की कही। तो दोहरी नीति हट गई है क्योंकि इससे कष्ट होता था। . . . .

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कष्ट अभी भी है।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय वाजपेयी जी, यह बात बारबार छिपाने की नहीं है। बात यह है कि देश में चाहे चावल हो, गेहूं हो, तेल हो या और ऐसेंशियल कमोडीटीज हों उनकी मांग और उपलब्धता में फर्क पड़ता है। जैसे गेहूं और चावल में पड़ता है। कभी ड्राउट हो गया जिससे पैदावार पर असर पड़ता है। इसी तरह से किरोसिन तेल बाहर से भी आता है जिसके लिए विदेशी मुद्रा की क्षमता पर निर्भर करना होता है। तो जितनी यहां पैदा करें और बाहर से मंगा सकते हैं उसके अनुसार बांटते हैं। हां, यह जरूर है कि जितना भी उपलब्ध है उसका वितरण ठीक से हो। अगर आप

का इस बात पर जोर है तो इससे हम सहमत हैं और हम जोर भी देते हैं और राज्य सरकारों से कहते हैं। किसी की मांग 30 हजार की है और मिला 20 हजार तो उसका वितरण सही हो जिससे सभी को मिले सके। हम विभिन्न सरकारों और दिल्ली प्रशासन से कहते हैं कि सही वितरण पर अधिक ध्यान दिया जाए।

श्री राम सिंह शाक्य : बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं और मिट्टी का तेल जलाने को नहीं मिल रहा है।

श्री भगवत झा आजाद : मैंने कहा जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार राज्य सरकारों को देते हैं और उनको चाहिए कि उसका ठीक से वितरण करें जिससे कुछ न कुछ सब को मिल सकता है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो उसको देखना चाहिए और दुरुस्त करना चाहिए।

यही पांच प्रश्न माननीय सदस्य ने किए थे।

श्री भीम सिंह (झुनझुनू) : मान्यवर, मैं मंत्री जी के स्टेटमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें उन्होंने लिखा है :

> "The allotment of these seven commodities is made by the Central Government keeping in view the overall availability of stocks in the Central Pool, the relative needs of the various States."

तो नीड्स के बारे में जो उन्होंने खासतौर से कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जितना अनाज है वह देहात से आप प्रोक्योर करते हैं और उसकी सप्लाई पूरे देश में करते हैं। तो क्या खाली शहर में सप्लाई करना ही आपकी जिम्मेदारी है? क्या देहात वालों को जब अनाज की कमी आती है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी आप की नहीं है क्या?

मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर जिला बाड़मेर, तहसील शेरगढ़, और बाड़मेर जिले में पिछले 5 साल से भयंकर अकाल पड़ रहा है और हालत यह हैं कि खाने का अनाज लोगों के यहां नहीं है। और शेरगढ़ तहसील में एक, डेढ़ महीने में 200 आदमी भूख से मरे हैं। और उस तहसील में ग्राम सोलन किया, तहसील शेरगढ़ में हनुमाना राम नाम के 35 वर्षीय आदमी की मृत्यु हुई, अपने पीछे वह 3 लड़कियां, 1 पुत्र और अपनी विधवा को छोड़ गया वहां जब कलेक्टर दौरा करने गये तो उसके घर में एक दाना अन्न का नहीं था, गांव वालों ने चन्दा करके उसकी लाश का दाह संस्कार किया और कलेक्टर ने अपने पास से 50 रु० दिये। यह इसलिये होता है कि फेमीन वर्क्स पर डेढ़ रु० मजूरी मिलती है और परिवार का एक आदमी ही काम पर रखा जाता है। तो डेढ़ रु0 में पूरे परिवार का खाना कैसे हो सकता है। इसलिये पिछले 5 साल से वहां के लोग एक टाइम ही खाना खा रहे हैं, और वह भी पेट भर नहीं है राजस्थान के फूड और सिविल सप्लाईज मिनिस्टर का कहना है कि बीमारी से मर गया। तो बीमारी भी उसी को होती है जो कमजोर हो, जिसकी हालत गिरी हुई हो। तो वहां पर आप फूड रश क्यों नहीं करते हैं। और इन्हीं कलेक्टर साहब ने ग्राम सोलनकिया को 10 क्विंटल अनाज भेजा था, वहां पर पहुंचा केवल 5 क्विंटल ही। 5 क्विंटल बीच में कहां रह गया?

इसलिये देहात में जब अनाज की जरूरत होती है तो आप क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? अगर डिटेल में आपको जानकारी करनी है तो राजस्थान के 20

[श्री भीम सिंह]

मार्च के न्यूज पेपर्स देख लीजिये आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अभी आप ने शार्टेज के बारे में कहा। आपने अपने 82–83 के इकनामिक सर्वे में कंट्री क आंकड़े प्रोडक्शन के दिये हैं और आपके पास 81–82 का जो प्रोडक्शन आया है, उसका स्टाक है। 81–82 में सारे का सारा प्रोडक्शन दूसरे सालों से कहीं ज्यादा हुआ है। आपने फरमाया कि हमारे चावल के प्रोडक्शन में गड़बड़ी थी। अभी आप 81–82 के प्रोक्योरमेंट का सप्लाई कर रहे हैं। उसमें आपके चावल का प्रोडक्शन 53.59 मिलियन टन था, जब कि 80–81 में 53.63 मिलियन टन था और उससे पहले 42.33 मिलियन टन था।

आपका प्रोडक्शन जब इम्प्रूव हुआ है तो आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रोक्योरमेंट में शार्ट सप्लाई है या स्टाक में कमी है, बल्कि आपकी व्यवस्था में कमी है।

दिल्ली के बारे में जो चर्चा हो रही थी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब एशियाड गेम चल रहे थे तो उस वक्त बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल सब दुकानों पर था। सप्लाई खूब थी, मटीरियल कम नहीं था। उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी गिर गयी। क्वालिटी इस लिये गिर गयी क्योंकि हरियाणा के अन्दर चुनाव थे। उस समय मई में जो आपने प्राक्योरमेंट किया तो वहां बरसात हुई थी, गेहूं उस समय भीगा हुआ था। वहां उस वक्त आपने लोगों को राजी करने के लिए, खुश करने के लिये प्रोक्योरमेंड किया और वह भीगा हुआ गेहूं सप्लाई में आ गया। वास्तविक कारण यह हैं कि गेहूं खराब था। जो आप मैटीरियल दे रहे हैं, उसकी व्यवस्था आप सही करें।

हमें राजस्थान में खासतौर से गेहूं नहीं चाहिए, अगर आप बाजरा भी दे दें तो हम खुश हैं। कम से कम लोगों को जिन्दा रहने के लिये अनाज दें। आप देहात से अनाज इकट्ठा करते हैं तो आपकी यह भी जिम्मेवारी है कि जब वह भूखे मरते हैं तो उनको अनाज दें। आप लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। इस पर आप ध्यान दें।

श्री भागवत झा आजाद : हम देहात या शहर के नाम पर एलाटमेंट नहीं करते हैं। जैसा मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, विभिन्न राज्य सरकारें जब अपनी मांगें भेजती हैं, उसमें कितना उन्होंने मांगा है, वह देखते हैं। हमारे पास स्वयं उसको पूरा करने के लिये सैंट्रल पूल में कितना है, यह भी देखते हैं। साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि एवेलेबिलिटी मार्केट में क्या है, कमी क्या है?

जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारे पास सैंट्रल पूल में सम्पूर्ण उत्पादन का बहुत थोड़ा हिस्सा रहता है और उसी हिस्से से हम विभिन्न राज्य सरकारों की मांग पर विचार करते हैं। इस बात से आप अन्दाजा लगा लीजिये कि पिछले वर्ष राज्य सरकार की मांग 250 लाख टन थी और हमारे पास प्रोक्योरमेंट का स्टाक 150 लाख टन था। इसीलिये मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि यह प्रश्न राज्य सरकारों के मांगते जाने का, जितना वह चाहें और हमारे देने का नहीं है। यह प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि कितना उनके सहयोग से प्रोक्योरमेंट हुआ और कितना हम राजस्थान, तमिलनाडु या बिहार में ऐसी परिस्थितियों को देखते हुये दे सकते हैं जुडिशसली।

यह बात हो सकती, माननीय सदस्य कह रहे हैं, सही हो सकती है कि इनके क्षेत्र में शेरगढ़ तहसील में पर्टिकुलर गांव में ऐसी घटना हुई। कलैक्टर

ने 10 भेजा और 5 नहीं पहुंचा। मैं तो यहां से इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं दे सकता हूं। यह मेरे लिये संभव नहीं है।

मैं यह विचार दे सकता हूं कि जब हमारे पास किसी सरकार की मांग आती है तो उसके अनुसार हम विचार कर, अपनी स्थिति को देखते हुये, अधिक से अधिक देने का प्रयत्न करते हैं। आपने शहर और देहात की बात कही। हमारे फेयर प्राइस शाप्स सिर्फ शहर में नहीं हैं बल्कि 2 लाख 81 हजार दुकानें हैं उसमें से कुल 60,61 हजार शहर में हैं और बाकी 2,19,049 दुकानें देहात में हैं। हम राज्य सरकारों से निवेदन करते हैं और वह जानते हैं कि जो उन्हें एलाटमेंट दिया जाता है, वह सिर्फ शहर के लिये नहीं होता देहात के लिये भी होता है।

मैं इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सिर्फ मेरे पत्र लिखने से या एलाटमेंट करने से हल नहीं होगा।

फेयर प्राइस शाप्स के बारे में जो शिकायतें आती हैं कि वह खुलती नहीं हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि इस सदन के माननीय सदस्य, एम० एल० एज० तथा अन्य सोशल कार्यकर्ता जो हैं वे अपनी-अपनी लेविल पर मदद करने के लिए जन आंदोलन तैयार करें। मैं यह क्लेम नहीं करता कि हमने सब दे दिया है लेकिन जितना भी मिलता है उसके वितरण की सही व्यवस्था होनी चाहिये। अपने-अपने क्षेत्र में सही बंटवारा करने के लिये जन आंदोलन तैयार करें और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो देखें उसका जिम्मेदार कौन है। तभी इसमें सुधार आने की सम्भावना है। जैसाकि मैं ने आपको पहले ही आंकड़े दिये कि अधिकांश दुकानें देहाती क्षेत्र में ही हैं।

आपने जो प्रोडक्शन की बात कही, इस साल ड्राउट के कारण चावल के उत्पादन में बहुत कमी हुयी है। गेहूं का जो क्राप ईयर है वह अप्रैल से गेहूं आयेगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक चलेगा और चावल अक्तूबर से आयेगा, उसका क्राप ईयर अक्तूबर से सितम्बर तक है। जो पुराने साल की प्रोक्योरमेंट है उसको देखते हुये हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जहां तक सम्भव हो सके हम गेहू और चावल मिलाकर दें। और हम कोशिश करते हैं कि जहां तक संभव हो सके हर स्टेट को दें।

जहां तक इस साल के प्रोडक्शन की बात है, अगर असामयिक वर्षा नहीं हुई और मौसम ठीक रहा तो गेहूं की क्राप अच्छी होगी। हरियाणा की बात आपने कही तो गेहू के लिये हमारे पास नियम हैं कि किस परसेंट तक हम ले लेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि गेहू का कर्नेल खराब नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला रंग ही बिगड़ा है और जो किसान हैं उनका भी हमारे ऊपर दबाव है तो दस बीस परसेंट नहीं, बहुत कम में हम उसको ले लेते हैं। अब यह खाद्यान्न उत्पादन से लेकर वितरण तक की अपनी यात्रा पर जो चलता है, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी होती है और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी बिहार से आए हैं और मैं भी बिहार से आता हूं। बिहार की समस्याओं का जितना ज्ञान मन्त्री जी को है उतना ही मुझे भी है। अन्तर केवल इतना ही है

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

कि वह उस ओर हैं और मैं इस ओर हूं । आज बिहार में जितनी मांग है उसको पूरा करने में कोई अड़चन है तो उसके लिये कोई न कोई तर्क मंत्री जी जरूर ढूंढ़ लेंगे। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप बिहार के हैं इसलिये तर्कों में न जाकर वहां की जो कठिनाइयां हैं उनको समझने का प्रयास करें। आपने कहा है कि पिछले समय में सारे देश में...

MR. DEPUTY SPEAKER: He not only belongs to Bihar but to the whole of India.

प्रो० अजित कुमार मेहता : सारे हिन्दुस्तान में उनके घर नहीं हो सकते हैं। उनका घर खास स्थान पर होगा।

मैं कह रहा था कि अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि पिछली दफा अकाल की छाया सारे हिंदुस्तान में नहीं सारे भारत में नहीं, खास-खास जगहों, पर थी। इसलिये उन जगहों पर सहायता देने में, राहत देने में, इन्होंने उदारता से काम लिया, लेकिन उतनी उदारता अभी नहीं बरत सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा। बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां से लगभग सारे भारत की खनिज पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसलिए कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिये कि जब सारे भारत की खनिज पदार्थ की पूर्ति बिहार से होती है तो बिहार के मामले में, अगर वहां खाद्यान्न की कमी है, तो आप कहीं न कहीं से उसकी पूर्ति तो करें। आप अभी भी विदेशों से खाद्यान्न आयात कर रहे हैं। आपकी आवश्यकता जितनी होगी, जिसमें कि बिहार की पूरी आवश्यकता को शामिल करें, तो समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। मैं यह कहना चाहता था कि जनता सरकार ने जिस समय में अपना कार्यभार आप के ऊपर दिया, उस समय काफी बफर-स्टाक था। जहां तक मुझे याद है, उस समय में 16 मिलियन टन खाद्यान्न का बफर-स्टाक था। आप भी आज क्यों नहीं वैसा ही बफर-स्टाक बनाने का प्रायस करते हैं! खास करके जब आप विदेशों से आयात कर रहे हैं, तो आपको बफर स्टाक बनाने में सुविधा रहेगी। आपने कहा है कि 12.5 प्रतिशत आप वसूल करते हैं, प्रोक्योर करते हैं और 87.5 प्रतिशन निजी क्षेत्रों में छोड़ देते हैं और अधिक प्रोक्योर करने से निजी क्षेत्रों में कुछ कम जाएगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you got the figure as to how much they are giving to the central pool, as far as Bihar Government is concerned?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: We do not know the exact figure, but there was some contribution from Bihar also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He carefully avoids that. What is your contribution to the central pool?

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं उसको उनके विवेक पर छोड़ देता हूं कि उसको कितनी आवश्यकता है। यह तो आप जानते हैं कि बिहार में कमी है। जब कमी है तो उसमें कितनी कन्ट्रीब्यूशन किया, यह कोई अर्थ नहीं रखता है, इस बात को जानने का। अर्थ यह रखता है कि आप कितना कन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि 12.5 प्रतिशत से आप अधिक नहीं करना चाहते है, मेरी दृष्टि में यह विचार गलत है। यह इस मायने में कि जब स्केयरसिटी है, तब आप उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। तो पूर्ति करने के समय में आपको यह सोचना चाहिए कि 87.5 प्रतिशत प्रोक्योरमेंट जब आप निजी क्षेत्रों

को छोड़ दे रहे हैं तो उससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, उससे स्केयरसिटी बनी रहती है। उसके कारण आप ऊपर से सहायता दे रहे हैं । इसलिए आप इतना निश्चित जान लीजिए कि वह इस पूर्ति में अक्षम है । आप अधिक प्रोक्योर कीजिए। 87.5 परसेंट निजी क्षेत्र में रखकर आप आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं । आपने कहा है कि हम अधिक प्रोक्योर करेंगे तो निजी क्षेत्र में जाएगा और उससे कठिनाई उत्पन्न होगी—इस बात को मैं नहीं मानता हूं। जहां तक स्केयरसिटी की बात है, वहां पर आपको पूरी की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए । मेरे ख्याल में स्केयरसिटी का मतलब यही है। जब आप पूरी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो स्केयरसिटी स्वयं समाप्त हो जाएगी और वहां पर मैल-प्रेक्टिस, ब्लैक मार्केटिंग की जो समस्या है, वह स्वयं दूर हो जायेगी—आप इस पर विचार करें।

अभी कुछ सदस्यों ने क्वालिटी के बारे में चर्चा की थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या सरकार के पास भण्डारन और यातायात की कोई अच्छी व्यवस्था है? मैं तो यह समझता हूं—चूंकि आप के पास खाद्यान्न के भण्डारन और यातायात की अच्छी व्यवस्था न रहने के कारण भण्डारन और यातायात की प्रक्रिया में बहुत सा अन्न खराब हो जाता है, पानी में भीग जाता है, बरबाद हो जाता है और उसी अन्न की आपूर्ति फेअर-प्राइस-शाप्स के द्वारा कर दी जाती है, जिस के कारण लोगों को खराब खाद्यान्न मिलता है । क्या आप इस पर विचार कर इस व्यवस्था को दुरूस्त बनाने का प्रयास करेंगे ?

आप ने यह भी कहा है कि राज्यों को अपना खाद्यान्न स्वयं पैदा करना होगा और उसी पर भरोसा करना चाहिए। आप जनाते हैं, विगत 36 सालों में, स्वतन्त्रता के बाद, आप प्रयास करते हुए भी बिहार में कोई सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं बना पाये हैं। अभी भी हमारी खेती, हमारा सब कुछ, मानसून की कृपा पर निर्भर है। यदि मानसून का रोष हमारे ऊपर हो तो हमारी खेती चौपट हो जाती है। आप इस समस्या को नजरअन्दाज कर के कैसे यह कह सकते हैं कि हमें स्वयं उत्पादन करना होगा । हम तो चाहते हैं कि आप हमें सिंचाई की उचित व्यवस्था दे दें, उर्वरक की आपूर्ति ठीक से कर दें, तो हम स्वयं आप के आसरे पर नहीं रहेंगे, स्वयं अपना उत्पादन कर लेंगे । बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है यदि इस चीज की व्यवस्था हो जाय तो हम दूसरे राज्यों की खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं। इस का मैं आप को विश्वास दिलाता हूं । लेकिन चूंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर ही हमारे यहां नहीं है—आज, उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जितने भी स्टेट ट्यूब वेल हैं उन में बिजली के अभाव के कारण अधिकांश समय वे नहीं चलते हैं—जब हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था न हो, उर्वरक न मिले, बीज की आपूर्ति समय के बाद हो—पिछली मर्तबा मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से यही पूछा था कि बीज की आपूर्ति आप समय पर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उपज कैसे अच्छी होगी—यदि समय पर बीज मिल जाय तो स्वयं समस्या का समाधान निकल जायेगा । क्या इस की तरफ आप ने कुछ सोचा-विचारा है ?

अन्तिम सवाल, यहां पर अभी दिल्ली के बारे में चर्चा हुई है और उसी सिलसिले में यह कहा गया है कि सरकार की नीति है कि केरोसीन तेल और खाद्यान्न इन दोनों के लाइसेंस एक ही प्रेमिजेज में, दोनों का स्टाक एक ही प्रेमिजेज में, न रहे। लेकिन देखा यह गया है कि

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

किसी भूल के कारण ये दोनों लाइसेंस एक ही प्रेमिजेज में, एक ही प्रांगण में...

श्री भागवत झा आजाद : कौन से लाइसेंस ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : कैरोसीन और खाद्यान्न के । ऐसा पाया गया है कि जब दोनों लाइसेंस एक ही प्रांगण में हों, तो राशन कार्ड पर खाद्यान्न और कैरोसीन की प्राप्ति दी जाती है, लेकिन वास्तविक उपभोक्ता को यह बता दिया जाता है कि कैरोसीन का स्टाक समाप्त हो गया, इसलिए उपलब्ध नहीं है । इस तरह की मैलप्रेक्टिस चलती है। क्या आप के सामने दिल्ली एरिया में इस तरह की समस्या लाई गई है? और अगर लायी गयी है तो उस पर क्या किया गया है ?

एक और खामी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा । फ्लोर मिल और खाद्यान्न के लाएसेंस एक ही प्रेमिसस में रहने पर यह होता है कि जो फेअर प्राइस शाप्स का स्टाक होता है, फ्लोर मिल उसका आटा बना कर बेच देती है । क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया है ? अगर इस तरह की समस्या है तो उसका आप क्या समाधान निकालेंगे ?

आप जानते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से 26 जिले हैं जो अकाल की छाया से ग्रसित हैं जिनमें हमारा जिला भी सम्मिलित है । ये जिले हैं—पटना, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालन्दा, नवादा, मुंगेर, मुफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, ईस्ट चम्पारण, वेस्ट चम्पारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारन, सीवान, गोपालगंज, बेगुसराय, खगरिया, पूर्णिया, कटिहार, सहर्षा, मधेपुरा । इन जिलों में अकाल की छाया है । क्या आप इन जिलों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रख कर, इन जिलों की खाद्यान्न आपूर्ति करने का आश्वासन बिहार राज्य को देंगे जिससे कि इन जिलों की खाद्यान्न की कमी दूर हो सके ?

अभी आपका एक दल बिहार में घूम रहा है और कुछ ही दिनों में वह अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर देगा । पिछली दफा इस तरह की टीम ने केवल 25 करोड़ रुपये बिहार राज्य को सहायता के रूप में देने के बारे में रिकमण्ड किया था । मैं समझता हूं कि इस साल समस्या और भी कठिन है । इसलिए बिहार राज्य की प्रतिमाह डेढ़ लाख टन खाद्यान्न आपूर्ति की जो मांग है, उस पर विशेष रूप से ध्यान रख कर, क्या आप उसकी आपूर्ति करेंगे ?

मेरे इन प्रश्नों का मंत्री जी उत्तर देने की कृपा करें ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की समस्या का जितना ज्ञान प्रोफेसर साहब को है उतना मेरा भी है । आपके उस तरफ रहने से और मेरे इस तरफ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है । इसलिए इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई फर्क है ।

आपने बिहार के जिन 26 जिलों का नाम लिया है, उनको मैं भी जानता हूं क्योंकि उनमें से कुछ के बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हूं । लेकिन हिन्दुस्तान का खाद्य मंत्री होने के कारण मेरे सामने और भी जिले हैं । उत्तरप्रदेश में हैं, तमिलनाडु में हैं, उड़ीसा में हैं जहां कि अकाल की छाया है और उनको भी मैं उसी रूप में

समझता हूं । इसलिए इन 26 जिलों में और भी अनेक 26 जिले जुड़ जाते हैं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जो आप 65 हजार टन खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे हैं, क्या इससे आप यह सोचते हैं कि वहां की आपूर्ति हो जाएगी ?

श्री भागवत झा आजद : यह आपने कहा है और इसका मैं जवाब देने वाला हूं । आप अपने सब प्रश्नों का जवाब सुनिये ।

मैंने पहले ही कहा कि जिन राज्य सरकारों की मांग मेरे पास आती है उन मांगों के बारे में निर्णय करने में मुझे कई बातों को देखना होता है । बिहार की ही मांग नहीं, तमाम राज्यों की मिली-जुली मांगों को देखना और फिर हमारे पास सेन्ट्रल पूल में कितना खाद्यान्न है इसको भी देखना पड़ता है । तीसरे मार्केट में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है, चौथे कहां क्या कीमतें हैं, इन तमाम बातों को देख कर के हम कुछ करते हैं ।

इसी सन्दर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि पिछले वर्ष, 1982 में तमाम राज्यों से 250 लाख टन खाद्यान्न की मांग थी । केन्द्रीय पूल के पास 150 लाख टन था । मगर इतना कम रहने पर भी जिस प्रकार से वितरण हुआ उससे देश की कठिनाईयों का हल हुआ । इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि यह काम राज्य सरकारों का है जितना चाहें मांगें, जितनी उनकी कठिनाई हो । लेकिन देना इस पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना है । भारत सरकार जरूर देगी । हम चाहते हैं ।

मेरी भी यह चाह विलासित्र,
सुन्दरता को शीष झुकाऊं
जहां-जहां मधुमयी बसी हो,
वहां बसंतानिल बन धाऊं ।

पर कठिनाई यह है कि—

पर नभ में न कुटि बन पाती,
मैंने भी सौ युक्ति लगाई,
कभी कल्पना मिटती आधी,
कभी बिगड़ती बनी बनाई ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं चाहता तो हूं पर चाहने के बावजूद केन्द्रीय पूल में जो प्रोक्योरमेंट करते हैं साढ़े बारह परसेंट उसके अनुसार जो रहता है वह दिया जाता है । आपने कहा कि मैं साढ़े 12 परसेंट ही करता हूं । मैंने यह कहा है कि पिछले वर्ष साढ़े 12 परसेंट किया गया है इसका अर्थ यह नहीं है कि अब भी इतना ही करेंगे । अधिक भी कर सकते हैं लेकिन यह सारी बात निर्भर करती है कि प्रोक्योरमेंट कितना सम्भव है और इससे ज्यादा उसकी क्षमता पर, उसकी उपयोगिता पर, कार्यकुशलता पर । उसको बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन यह बात भी सही है कि अगर साढ़े 12 परसेंट से 20 परसेंट भी कर दिया तो हिन्दुस्तान की आबादी तो बढ़ेगी, वह तो कम नहीं होगी । लेकिन टोटल प्रोडक्शन तो उतना है। तो परसेंटज बढ़ाने से बाजार में कमी होगी ।

आपने यह भी कहा है कि अगर ऐसी बात है तो आयात बढ़ा दीजिए । हमने पिछले वर्ष आयात किया । आप कहते हैं कि और अधिक आयात कर लो और बिहार की आवश्यकता की पूर्ति कर दो । लेकिन जब बिहार की मांग को जोड़गें तो सारे हिन्दुस्तान की मांग भी उसमें जुड़ेंगी । इसके लिए भी वही बात लागू होती है कि हम चाहते तो हैं

[श्री भागवत झा आजाद]

लेकिन इतनी विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं है। विदेशी मुद्रा से और भी बहुत सी चीजें आयात करनी होती हैं। जितना संभव होता है उतना बाहर से मंगाकर दिया जाता है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : लोगों को भूखों मरने से तो रोकिए।

श्री भागवत झा आजाद : वही तो कर रहे हैं। किस को भूखों नहीं मरने दिया गया है। आपने अपनी सरकार का प्रसन्नता पूर्वक हवाला दिया। 1979 में जब भंयकर ड्राउट था तो आपके बस की बात नहीं रही थी और 1980 में जब इंदिरा जी आई तो उस वर्ष डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सबसे अधिक अनाज लोगों को दिया। आपको याद होगा कि आपके चरण इतने अच्छे थे कि हिन्दुस्तान के टोटल प्रोडक्शन में उस वर्ष लगभग 200 लाख टन की कमी आई। किसानों को गन्ना जलाना पड़ा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : किसी से कर्जा तो नहीं लिया।

श्री भागवत झा आजाद : यह इस कारण से है कि राम विलास जी को अर्थ शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है।

हम व्यक्तिगत जीवन में भी कर्ज लेते हैं, कोआपरेटिव सोसायटी से कर्ज लेते हैं और बाद में चुका देते हैं। इसी प्रकार सरकार भी देश की उन्नति के लिए कर्ज लेती है वर्ल्ड बैंक से। यह अच्छी बात है। पासवान जी लेसिज इकनामिक्स में विश्वास करते हैं कि किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिये लेकिन हम सोशलिस्ट इकनामिक्स में विश्वास करते हैं कि कर्ज लेकर उसका सही उपयोग करके कर्ज वापिस कर दो। (व्यवधान)

प्रोफेसर साहब ने भण्डारण और यातायात के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भण्डारण में वृद्धि के कारण ही हमारे टोटल स्टाक में 172 लाख टन अनाज रहा। 186 लाख टन अनाज रहा और इस साल भी अभी तक 125 लाख टन भण्डारण है। जो विभिन्न एजेंन्सीज के पास है, इस बात का प्रतीक है कि हमारी भण्डारण क्षमता बढ़ रही है। आपने यातायात के बारे में कहा है। मैंने पहले भी बताया था कि सवा करोड़ बोरियों का इधर से उधर चलन किया जाता है।

1978 में हमने 96 लाख टन फूड ग्रेन मूव किया था और 1982 में 54 लाख टन किया। सारे आंकड़े इस बात के प्रतीक हैं कि चाहे उत्पादन, भण्डारण या यातायात की बात हो, जैसा कि प्रोफेसर सापव ने ध्यान आकर्षित किया है, उन सभी में वृद्धि हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी क्षमता बढ़ती जाए। आपने सिंचाई, टयूबवैल और बिजली पर प्रश्न किया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को जो संबंधित मंत्री हैं, उनसे ही पूछिए। हम तो सब बातों के इनसाइक्लोपीडिया नहीं हैं। वैसे मैं बता सकता हूं, लेकिन यह ठीक नहीं होगा ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : बफर स्टाक के बारे में मैंने पूछा था ?

श्री भागवत झा आजाद : अभी हमको बफर स्टाक चाहिए और अभी हमने रखा हुआ भी है। एक तरफ आप कहते हैं कि सबको खिलाओ, कोई भूखा न मरे। लेकिन हमारे पास इतना प्रचुर उत्पादन हो और मिनिमम स्टाक हम रख पाएं जिससे सबको खिला सकें तो यह सबसे अच्छी स्थिति होगी। लेकिन जब कठिनाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

के समय आती है तब बफर स्टाक से निकालकर देते हैं और अगली बार के लिए रख लेते हैं क्योंकि आपरेशनल और बफर स्टाक दोनों ही आवश्यक हैं। पाईप लाईन में कम से कम रहता है जो हम आपरेट करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं।

आपने केरोसीन तेल के बारे में कहा है। एक दुकान में खाद्यान्न तथा और चीजों के रखने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन आपकी शिकायत थी कि लोग नहीं देते हैं बल्कि और भर लेते हैं, इसको दूर करना चाहिए। इस संबंध में कोई लीगल कठिनाई नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि जिस प्रेमीस में फ्लोर मिल है वहीं पर फेअर प्राइस शाप है। जैसा मैंने कहा है यह बिल्कुल गलत है। हमने कोई लाइसेंस ऐसों नहीं दिया है। अगर ऐसी किसी बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो हम निश्चित ही कार्यवाही करते हैं और एक प्रेमीस में नहीं रहने देते हैं। मैं समझता हूं एक प्रेमीस में रहने पर गेहूं इधर से उधर चला जाता है। यह बात हमारे ध्यान में है।

श्री राम बिलास पासवान : बिहार में दस रुपए लीटर केरोसीन तेल मिल रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे यह नहीं मालूम कि कहां कितने रुपये लीटर मिल रहा है? मैं तो सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब उर्जामंत्री के पास है। कितना स्टाक उनके पास है और कितना राज्य सरकारें उनसे मांगती है और कितना दिया जाता है। इसकी डिटेल पूछनी हो तो ऊर्जा मंत्री से ही पूछ लिया करें तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं बता सकता कि ऊर्जा मंत्री के पास कितना स्टाक रहता है। इसके बाद आपने वितरण के संबंध में पूछा है। हमारी जो फेअर प्राइस शाप्स हैं उनकी संख्या दो लाख 81 हजार है जिनमें से 62 हजार तकरीबन शहरी क्षेत्रों में और दो लाख 19 हजार; 39 देहातों में। इन तमाम दुकानों क जरिए बटवाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा प्रयत्न रहता है।

13.10 hrs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

SEVENTEENTH REPORT

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): I beg to present the Seventeenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

VISHWA BHARATI (AMENDMENT) BILL

CONCURRENCE IN RAJYA SABHA RECOMMENDATION TO APPOINT A MEMBER TO JOINT COMMITTEE

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): I beg to move:

"That this House concurs in the recommendation, of Rajya Sabha that Lok Sabha do appoint a member to the Joint Committee of the Houses on the Visva-Bharati (Amendment) Bill, 1978, in the vacancy caused by the resignation of Shri A. A. Rahim and resolves that Shri Ahmed Mohammed Patel be nominated to the said Joint Committee to fill the vacancy."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is: